

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या -678/2015/जोधपुर

मैसर्स अन्नराज कटारिया
सदर बाजार, पीपाड शहर, जोधपुर

.....अपीलार्थी.

बनाम्

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट तृतीय, वृत्त बी, पीपाड शहर जोधपुर

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.सी. सोगानी
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री जमील जई
उप-राजकीय अभिभाषक।

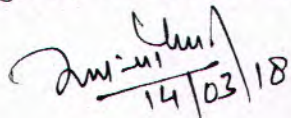
.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 14.03.2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी-द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा गया है) के अपील सं. 58/आरवैट/जेयूबी/2014-15 में पारित किये गये आदेश दिनांक 25.02.2015 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 23, 24 के तहत प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि व्यवसायी द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2010-11 का चतुर्थ तिमाही विवरण प्रपत्र वेट-10 दिनांक 07.12.2012 को 221 दिन देरी से प्रस्तुत करने के कारण अधिनियम के नियम 19 के तहत 100/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क रुपये 22,100/- आरोपित की गयी। उक्त आदेश दिनांक 25.02.2015 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
3. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 25.02.2015 का खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि समक्ष अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को शास्ति आरोपण से पूर्व किसी प्रकार का विशिष्ट कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया, जो कि नियम 48 का उल्लंघन है क्योंकि नियम 48 में यह प्रावधान है कि किसी भी टैक्स को बढ़ाने, पेनल्टी आरोपण करने से पूर्व व्यवहारी को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक होता है, जो कि समक्ष अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अपीलार्थी व्यवहारी

लगातार.....2.


14/03/18

के अधिवक्ता द्वारा आगें तर्क प्रस्तुत किया कि वर्ष 2010-11 के तिमाही का वेट-10 शून्य टर्नओवर व्यवसायी द्वारा समय पर प्रस्तुत नहीं होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 58(i) के तहत शास्ति रुपये 100/- प्रतिदिन के हिसाब से रुपये 22,100/- अधिकतम आरोपित किया। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित विलम्ब शुल्क आरोपित किये जाने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। अतः अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार किये जाने निवेदन किया।

4. राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 25.02.2015 का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि व्यवहारी द्वारा चतुर्थ तिमाही का विवरण प्रपत्र VAT-10 दिनांक 07.12.2012 को कार्यालय में 221 दिन विलम्ब से पेश किया जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 58 के तहत विलम्ब शुल्क 100/- रुपये प्रतिदिन की दर से 22,100/-रुपये आरोपित की, जो कि नियमानुसार उचित है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो विलम्ब शुल्क व्यवहारी पर आरोपित की गई है, वह उचित एवं विधिसम्मत है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी पर विलम्ब शुल्क का आरोपण करने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। अतः राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 25.02.2015 को पुनः बहाल किये जाने का निवेदन किया।
5. उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधिसूचना क्रमांक 3011 [F.16(375)Tax/VAT/CCT/06-1614] दिनांक 20.01.2013 के अनुसार आलौच्य अवधि 2010-11 के वार्षिक विवरण प्रपत्र 10A को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 31.05.2012 थी। जबकि अधिसूचना दिनांक F16(375)Tax/CCT/2006-543,dt. 02-04-2012 द्वारा त्रैमासीक विवरण प्रपत्र VAT-10 प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 30.04.2012 तक बढ़ायी गयी है। व्यवहारी द्वारा उक्त विवरण प्रपत्र VAT-10 दिनांक 07.12.2012 को 221 दिन विलम्ब से प्रस्तुत किया गया। व्यवहारी द्वारा वर्ष 2010-11 की अवधि के विवरण पत्र वेट-10, 221 दिन विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण 100/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 22,100/- रुपये विलम्ब शुल्क कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित किया गया। जिसकी पुष्टि अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 25.02.2015 द्वारा की गयी।
6. विवरण पत्रों के प्रस्तुत करने के संबंध में प्रावधान इस अधिनियम की धारा 21 तथा नियम 19 एवं नियम 19ए में निम्न प्रकार उपबंधित है:-

Am. Kumar
14/03/18

लगातार.....3.

Sec. 21 FILLING OF RETURN -

- (i) Every registered dealer shall assess his liability under this Act, and shall furnish return, for such period, in such form and manner, and within such time and with such late fee not exceeding fifty thousand rupees, for delayed furnishing of returns, as may be prescribed, to the assessing authority or to the officer authorized by the Commissioner.
- (ii) Any person or a dealer as may be required by a notice to do so by the Assessing authority or by an officer authorized by the Commissioner in this behalf, shall furnish return for such period in such form and manner and within such time as may be specified.
- (iii) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where (the Commissioner) is of the opinion that it is expedient in the public interest so to do may be a notification in the Official Gazette extend the date of submission of the returns or may dispense with the requirement of filing any or all the returns by a dealer or class of dealers.
7. नियम 19(1) से 19(10) तक विवरण प्रपत्रों को पेश करने के बारे में प्रावधानों का उल्लेख किया गया है जिसमें कौन-कौन से व्यवहारियों को मासिक त्रैमासिक व वार्षिक विवरण पत्र प्रस्तुत करना है तथा इनमें विवरण पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। जिसमें से नियम 19(1) एवं 19(10) का यहा पर उल्लेख किया जाना समीचीन होगा जो निम्न प्रकार है:-

Rule 19 (1) The return referred to in sub-section (1) of section 21 of the Act shall be submitted by a dealer in Form VAT-10, VAT-10A and VAT-11, as the case may be.

Rule 19(10) :- Where a dealer has failed to deposit due tax within the period notified under section 20 or has failed to submit a return within the period prescribed under section 21, in such cases, return(s) shall be submitted along with proof of deposit of due tax, late fee and interest, if any. Where such proof is not submitted, it shall be deemed to be case of non-filing of the return.

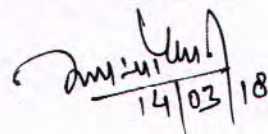
8. इस अधिनियम की धारा 58 **Penalty for failure to furnish return** से संबंधित थी जिसे Rajasthan Finance Act, 2011 द्वारा दिनांक 15.04.2011 को विलोपित कर दिया गया तथा विलम्ब शुल्क (Late Fee) से संबंधित प्रावधान नियम 19A (RVAT_Amendment) 2011 से जोड़ा गया, जो दिनांक 01.04.2011 से प्रभावी था। इस प्रकार कर निर्धारण वर्ष 2010-11 की अवधि के लिए अधिसूचना क्रमांक 2910[F.16(375)Tax/VAT/CCT/06-1614] दिनांक 02.04.2012 के अनुसार वार्षिक विवरण प्रपत्र 10 को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 30.04.2012 थी। अतः अधिनियम की धारा 21 में संशोधन व नियम 19ए जोड़े (insertion) जाने के पश्चात् की अवधि के लिए विवरण प्रपत्रों की देरी के संबंध में विलम्ब शुल्क के प्रावधान लागू होंगे।

Am. Singh
14/03/18

लगातार.....4.

9. रिकॉर्ड के अवलोकन से यह निर्विवादित है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2010-11 की प्रथम तीन तिमाही की त्रैमासिक रिटर्न समय पर प्रस्तुत कर दी गई थी। लेकिन चतुर्थ तिमाही की विवरण प्रपत्र VAT-10, 221 दिन विलम्ब से प्रस्तुत किया गया। नियम 19A के अधीन व्यवहारी के विरुद्ध कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विवरण प्रपत्र VAT-10 प्रस्तुत करने में विलम्ब के लिये आरोपित शास्ति 22,100/- रुपये को आरोपित किया गया। यद्यपि धारा 58 दिनांक 15.04.2011 को विलोपित कर दिया गया तथा विलम्ब शुल्क (Late Fee) से संबंधित प्रावधान नियम 19A (RVAT_Amendment) 2011 से जोड़ा गया, जो दिनांक 01.04.2011 से प्रभावी था। आलौच्य अवधि 2010-11 के लिये वार्षिक विवरण प्रपत्र VAT-10 को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 30.04.2012 को धारा 58 अस्तित्व में नहीं थी किन्तु नियम 19A प्रभावी था। अतः नियम 19A के अधीन विलम्ब शुल्क आरोपित किया जा सकता है।
10. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक की यह अपात्ति रही है कि विलम्ब शुल्क अधिरोपित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि नियम 48 के अनुसार शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व व्यवहारी को सुनना आज्ञापक है। लेकिन वर्तमान प्रकरण में विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर विलम्ब शुल्क अधिरोपित किया गया है, न कि शास्ति। विलम्ब शुल्क के आरोपण से पूर्व नोटिस दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरणों के तथ्यों एवं परिस्थितियों से भिन्न होने के कारण अपीलार्थी की कोई मदद नहीं करते हैं।
11. आलौच्य अवधि वर्ष 2010-11 के चतुर्थ तिमाही विवरण प्रपत्र VAT-10 को विलम्ब से प्रस्तुत किया गया। जिसके लिये अपीलार्थी व्यवहारी को नियम 19A की पालना में विलम्ब शुल्क का भुगतान करना था। यह विलम्ब शुल्क विहित समयावधि के पश्चात् विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने या कर निर्धारण तक विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं करने का पारिणामिक (Consequential) प्रभाव का परिणाम है। विलम्ब शुल्क स्वमेव पारिणामिक दायित्व है, जिसकी गणना उसके कर जमा कराने की श्रेणी के आधार पर की जायेगी। आलौच्य अवधि के पूर्व के वर्ष में अपीलार्थी व्यवहारी मासिक करदाता था। अतः व्यवहारी के विरुद्ध नियम 19A के तत्समय प्रभावी प्रावधान के अनुसार विलम्ब शुल्क आरोपित किया जाना न्यायसंगत है। आलौच्य अवधि वर्ष 2010-11 के वार्षिक विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने पर विलम्ब शुल्क के लिये नियम 19A के संशोधित प्रावधान निम्न प्रकार है:-

लगातार.....5.

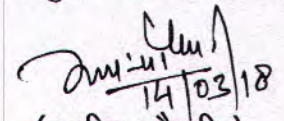

14/03/18

01-04-2012 to 31-03-2013 (sub. by the Rajasthan Value Added Tax (Second Amendment Rule) Rules 2012 (S.No. 2905 dated 30-03-2012) W.e.f. 01-04-2012

"19A Late Fee :- Where a dealer furnishes the return after the prescribed time, he shall pay a late fee of - (i) rupees one hundred per day subject to a maximum of rupees fifty thousand in case the dealer is required to pay tax for each month or part thereof under section 20 of the Act; and (ii) rupees fifty per day subject to a maximum of rupees five thousand, in all other cases."

इस प्रकार जैसाकि ऊपर विवेचन किया जा चुका है कि व्यवहारी मासिक करदाता है अतः नियम 19A के उक्त प्रावधान के अनुसार व्यवहारी के विरुद्ध 50/- रुपये प्रतिदिन जो अधिकतम 50000/- रुपये (पचास हजार रुपये) तक विलम्ब शुल्क आरोपित किया जा सकता है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा नियम 19A के तहत व्यवहारी के विरुद्ध विवरण प्रपत्र VAT-10 को 221 दिन विलम्ब से प्रस्तुत करने के लिये शास्ति 22,100/- रुपये आरोपित किये जाने में कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की गयी है तथा समस्त तथ्य एवं विधिक प्रावधानों का विस्तृत रूप से विवेचन किया गया है। अतः अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 25.02.2015 पुष्ट किये जाने योग्य है तथा व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार किए जाने योग्य है।

12. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया जाता है एवं अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 25.02.2013 की पुष्टि की जाती है।
13. निर्णय सुनाया गया।


14/03/18
(राजीव चौधरी)
सदस्य